लोक शिकायत एवं निराकरण संगोष्ठी व राष्ट्र गौरव सम्मान समारोह

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCES & INVESTIGATION INSTITUTION

वर्ष 2022

आपकी समस्या का समाधान, हमारा कर्तव्य

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान

स्वतंत्रता एवं न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार

– गोपाल राय
चेयरमैन
केन्द्रीय लोक शिकायत
एवं जांच संस्थान

भ्रष्टाचार एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई ही मूल मकसद – गोपाल राय

प्रशासनिक कार्यालय : 65/25, छित्तवापुर रोड, लालकुआँ, लखनऊ– 226001 फोन : 0522–2637228, 9956016175
नई दिल्ली कार्यालय: 2392, तिलक गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली– 110055, मोबाइल: 9450776737
www.cpgii.org | chairman.cpgi@gmail.com

गोपाल राय
चेयरमैन
केन्द्रीय लोक शिकायत
एवं जांच संस्थान

भ्रष्टाचार एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई ही मूल मकसद
- गोपाल राय

केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन गोपाल राय ने कहा कि संस्थान सम्पूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन एक माह के अंदर कर समाज के कमजोर,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जो समस्याओं से संबंधित विभागों एवं अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना हक हुकूक हासिल न होने से भाग्य को दोषी मानकर समस्या से पीड़ित रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्थान निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान उचित लोगों का चयन करेगी जो स्वेच्छा से समाज में आमूल – चूल परिवर्तन के प्रणेता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं। विधिक कार्यवाही हो या मानवाधिकार मूल्य हो,सामाजिक समरसता के लिए संस्थान की तरफ से निशुल्क एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे जिनका खर्च संस्थान एवं पदाधिकारी उठाएंगे। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध व मजबूत बनाने की अवधारणा, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक महिला एवं पुरुष ,जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों को दिलाना ।

समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार उन्मुख कार्यशाला का आयोजन कर प्रेरित करना। रोजगार परक ट्रेनिंग देकर स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्म निर्भर बनाने का कार्य संस्था करेगी। वर्तमान समय में आम आदमी को शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता उपलब्ध कराने हेतु सुनिश्चित करना, समान नागरिक संहिता लागू करवाने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सब का साथ, सबका विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री की नीतियों को जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान वचनबद्ध है। भारत में आजादी के बाद भी किसान वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है,उसके कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का मजबूत प्रयास किया जाएगा। हर खांटी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा मेडिकल,इंजीनियरिंग इत्यादि कालेजों में पढ़ाई मुफ्त कराने की कोशिश संस्थान करेगी।

2ND JUSTICE DIPAK MISRA NATIONAL MOOT COURT COMPETITION, 2021-22

Patron-in-Chief
Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra
Former Chief Justice of India

Patrons
Mr. Vivek Narayan Sharma
Ex-Joint Secretary, SCAOR Association

Mr. Ashwani Dubey
AoR, Supreme Court of India

Mr. Satish Kumar
AoR, Supreme Court of India

Mr. Bhagyodaya Mishra
Advocate, Gujarat High Court & Supreme Court of India

Academic Administrator
Prof. Shashank Shekhar
Assistant Professor, NLU Jodhpur

Mooting Administrator
Mr. Aman Kumar
Senior Associate, The Advocates League

Managing Administrator
Mr. Nitish Kumar Mishra
Convener, The Advocates League

General Administrator
Mr. Ashish Kumar Rai
President, The Advocates League

Program Administrator
Mr. Johns Santhosh
Secretary, The Advocates League

Executive Coordinator
Mr. Shubham Kumar
Vice President, The Advocates League

Chairman, Steering Committee
Mr. Abhishek Jaiswal
Co-Convener, The Advocates League

Organizing Secretary
Mr. Shashwat Tripathi
Admin Head, The Advocates League

Joint Organizing Secretary
Mr. Anubhav Mishra
Academic Head, The Advocates League

Chief Coordinators
Mr. Om Singhania
Joint Academic Head, TAL
Mr. Alpesh Kumar
Deputy Chief Operating Officer, TAL
Mr. Anish Tiwari
Special Director, Department of Criminal Law

Coordinators
Mr. Gopal Krishna
Director, Department of ADR
Ms. Riya Luhadia
Director, Department of Criminal Law

Ref. No.-TAL/02(e)/12795 Date - 09-07-2022

APPRECIATION NOTE

The idea of redressing the Public Grievances through Non Government Office under the umbrella of Central Public Grievances & Investigation Institute is a great initiative by the Social Workers.

We wish all the best to all the office holders for doing such an exemplary work.

Yours Sincerely,

Justice Dipak Misra

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra
Former Chief Justice of India

To,
Shri. Gopal Rai
National President, CPGII
65/25, Chitwapur Road, Lalkuan,
Lucknow, Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

भगत सिंह कोश्यारी

राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य

राज भवन
मलबार हिल
मुंबई ४०० ०३५
दूरध्वनी : ०२२-२३६३ २६६०
फॅक्स : ०२२-२३६८ ०५०५

शुभकामना

१६ जून २०२२

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान (रजि) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं इस संबंध में स्मारिका का प्रकाशन/विमोचन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता हुई।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के अधिकार, न्याय एवं समस्त मूलभूत आवश्यकतों हेतु प्रयासरत है । निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, दलित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा। ऐसी आशा व कामना करता हूँ।

अतः इस सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य हेतु संस्थान से संबंधित समस्त विद्वत पदाधिकारीगण व संरक्षक मण्डल के महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

भवदीय

(भगत सिंह कोश्यारी)
राज्यपाल, महाराष्ट्र

श्री गोपाल राय
मा. अध्यक्ष
६५/२५ छितवापुर रोड़,
लाल कुआँ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-२२६००१

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून– 248001
सचिवालय फोन: 0135–2716262
0135–2650433
फैक्स: 0135–2712827
विधान सभा फोन: 0135–2665100
0135–2665497
फैक्स: 0135–2666166
Email: cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान द्वारा स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्थान के तत्वावधान में समग्र विचार प्रवाह लोक शिकायत निराकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि उक्त स्मारिका में देश को समृद्ध एवं मजबूत बनाने, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना एवं समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, दलित, पिछड़े वर्ग, युवाओं को मार्गदर्शन तथा संस्थान द्वारा समाज हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यों का समावेश होगा, जो निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अत्यन्त प्रेरणादायी सिद्ध होगा। संस्थान द्वारा किये गये राष्ट्रहित में ऐसे महान कार्यों को एक स्मारिका के माध्यम से प्रकाशित किया जाना निःसंदेह प्रशंसनीय कार्य है।

मेरी ओर से संस्थान को स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मारिका के विमोचन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं।

(पुष्कर सिंह धामी)

श्री गोपाल राय जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65/25, छितवापुर रोड़,
लालकुआँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यालय कक्ष संख्या–99, 100, मुख्य भवन, विधान सभा सचिवालय
दूरभाष– 0522–2238088/2213272 (का0)
लखनऊः दिनांक 01/07/2022

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान (रजि.) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं स्मारिका का प्रकाशन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के अधिकार न्याय व समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयासरत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत का निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

मैं साथ ही ऐसी आशा करता हूँ कि संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा।

मैं इस स्मारिका के प्रकाशन एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(ब्रजेश पाठक)

एस0 एन0 साबत,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक (सतर्कता)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्तिभवन, लखनऊ
फोन नं0 0522-2287875 (कार्यालय)
0522-2287855 (फैक्स)

दिनांकः जुलाई 6 , 2022

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक शिकायत निराकरण विषय पर केन्द्रीय शिकायत एवं जॉच संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है ।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राष्ट्रीय हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यो का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये प्रेरणादायी सिद्ध होगा । संस्थान का यह कार्य प्रशंसनीय है । इस अवसर पर संस्थान को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें हैं ।

ससम्मान,

भवदीय,

(एस0एन0 साबत)

श्री गोपाल राय,
राष्ट्रीय लोक शिकायत एव जॉच संस्थान
प्रशासनिक कार्यालय 65/25, छितवापुर रोड़
लालकुऑ लखनऊ ।

संजीव कुमार शुक्ल

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स पश्चिम परिक्षेत्र,
आगरा।
सीयूजी नं0-8005194091,
ईमेल आई0डी0-dycg-hg.ag@up.gov.in

पत्रांक: 1109

दिनांक जुलाई 11 ,2022

शुभकामना सन्देश

प्रिय महोदय,

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक शिकायत निराकरण विषय पर केन्द्रीय शिकायत एवं जाँच संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राष्टीय हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यों का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये प्रेरणादायी सिद्ध होगा। संस्थान का यह कार्य प्रशसनीय है। इस अवसर पर संस्थान को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें हैं।

सप्रेम भाव

भवदीय

11.07.2022

(संजीव कुमार शुक्ल)

श्री गोपाल राय,
राष्टीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65/25,छितवापुर रोड,
लालकुआँ,लखनऊ।

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

विधान भवन,
लखनऊ।

दिनांकः 01 जुलाई, 2022

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता एवं विधिक विवेचना

समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग–4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद–44 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद–44 के अनुसार राज्य सम्पूर्ण देश में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने का प्रयास करेगा अर्थात सभी के लिए निजी कानून एक जैसे होंगे, निजी कानूनों से अभिप्राय ऐसे कानूनों से है जो निजी मामलों में लागू होते हैं, जैसे– विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से 'पंथ निरपेक्ष' शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेद–भाव को समाप्त करना है। मूल अधिकारों में 'विधि के शासन' का उल्लेख है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान के प्रस्तावना का उल्लंघन है।

भारत में अलग–अलग धर्मो में विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार से सम्बन्धित अलग–अलग विधान हैं। कुछ धर्मों में प्रचलित कुरीतियों एवं रूढ़ियों के खिलाफ लम्बे आन्दोलन चले हैं, लेकिन कुछ धर्मों के विभिन्न समुदायों में आज भी ऐसे निजी कानून प्रचलित है जो मानवीय गरिमा का अपमान करते हैं और समतामूलक समाज के निर्माण में बाधक बनते हैं।

इसलिए पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को धर्म आधारित कानूनों पर युक्ति–युक्त परिवर्तन लगाकर भारत के समस्त नगारिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बनी हुयी है। भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई, 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून बनाया है जिसके द्वारा तीन तलाक को गैर कानूनी घोशित दिया गया है एवं दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद–370 हटा दिया है।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर संविधान सभा में बोलते हुए डा0 भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि ''हमारे देश में मानवीय सम्बन्धों के प्रायः प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले कानूनों की एक समान दंड संहिता है, जो 'भारतीय दंड संहिता' एवं 'अपराध दंड संहिता' में निहित है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से कानून हैं जो देश के नगारिकों पर समान रूप से लागू होते हैं लेकिन विवाह एवं उत्तराधिकार के कानून अलग–अलग धर्मों में अलग–अलग होने की वजह से प्रायः ये नागरिक अधिकारों का हनन करते नजर आते हैं। महिलाओं को इन कानूनों से सबसे अधिक नकारात्मक तौर पर प्रभावित होना पड़ता है। ''संविधान सभा में मीनू मसानी, हंसा मेहता एवं राजकुमारी अमृत कौर ने समान नागरिक संहिता को मूल अधिकारों के तहत रखने की वकालत की थी। संविधान सभा में बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी कि यह मुस्लिमों के विरूद्ध है लेकिन इस आशंका को निर्मूल करार देते हुए डा0 आंबेडकर ने कहा था कि ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुस्लिमों को कभी भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि समान नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आघात पहुँचाया है।''

सर्वोच्च न्यायालय से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक तीन बार केन्द्र को दिशा–निर्देश दिया है। सबसे प्रसिद्ध निर्णय 'मुहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1985 में अपना निर्णय देते हुए कहा था कि 'यह अत्यंत खेद की बात है कि संविधान का अनुच्छेद–44 अभी तक लागू नहीं

किया गया और सरकार की ओर से इसे संसद द्वारा पारित कराने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।' जबकि तत्कालीन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ संसद में मुस्लिमों के निजी कानूनों के हित में विधेयक पास करवाया। दूसरी बार 'सरला मुदगल बनाम भारत सरकार' वाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि अनुच्छेद–25, 26 एवं 27 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) में दिये गए मूल अधिकार का हनन नहीं करता। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने 'जार्डन डिंग डोह बनाम स्वरनजीत सिंह चोपड़ा' वाद एवं 'जान वल्ला मैट्टम बनाम भारत सरकार' के वाद में भी समान नगारिक संहिता के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि ''ऐसे समय में जब महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी निजता को लेकर सजग हो रहीं हैं तो समान नागरिक संहिता की बात करना किन्ही धार्मिक निजी कानूनों की तुलना में अधिक प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक है।'' लिली थामस केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता पर बल दिया है।

भारतीय लोकतंत्र में अभी भी यह अभीष्ट है कि समान नागरिक संहिता इस प्रकार लागू हो जिसमें विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा विभिन्न धर्मों के पुरूषों तथा स्त्रियों के मध्य कोई विभेद न हो। समान नागरिक संहिता इन देशों मे लागू है जैसे बिट्रेन, अमेरिका, फ्रान्स और आस्ट्रेलिया, यहाँ तक मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य तुर्की एवं मिस्र (इजिप्ट) में भी समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में 1962 से लागू समान नागरिक संहिता, पुर्तगाली समान नागरिक संहिता, 1867 के तहत लागू किया गया है, जो उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को संचालित करता है। इसमें बहुविवाह पर भी प्रतिबन्ध है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से अलग–अलग धर्मों के अलग–अलग कानून से न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा और न्यायालयों में वर्षों से लम्बित पड़े मामलों के निर्णय शीघ्र होंगे। सभी के लिए एक समान कानून लागू होने से देश में एकता और बन्धुता को बढ़ावा मिलेगा और कानून के स्तर पर किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं होगी, ऐसे सकारात्मक माहौल में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। देश में एक समान कानून लागू होने से देश का राजनैतिक माहौल भी बदलेगा और राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक वाली राजनीति से जनता को छुटकारा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आयेगा। अभी भी कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से पूरे देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अन्तर्गत आ जायेंगे और धर्म के आधार पर कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए साथ ही 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है।

विधिक प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में विधि निर्माण कर सकती है अथवा नही? निःसंदेह समान नागरिक संहिता राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनिर्मित किया जा सकता है परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि सरीयत एक्ट 1939 एवं अन्य धर्म मानने वालों से सम्बन्धित अन्य अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिनिर्मित हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू कोड बिल भी केन्द्र सराकर द्वारा अधिनिर्मित है। यदि राज्य सरकार द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड बनाया जाता है तो उपरोक्त केन्द्रीय विधियों में कतिपय संशोधन करना पड़ेगा। जिसके लिये महामहिम राश्ट्रपति महोदय की अनुशंशा आवश्यक होगी परन्तु समान नागरिक संहिता देश के लिये परम आवश्यक है यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में विधि निर्मित की जानी चाहिये।

जय हिन्द !

डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव, विधान परिषद्
उत्तर प्रदेश।

श्री गोपाल राय जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65/25, छितवापुर रोड़,
लालकुआँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

दानिश आजाद अंसारी
राज्य मंत्री
अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम
वक्फ एवं हज।

कार्यालय कक्ष सं0: जी–2/3
बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय,
लखनऊ
दूरभाष कार्यालय: 0522–2239277
सी0एच0: 0522–2214796

सं0....295..../वी0आई0पी0/रा0मं0/अ0स0क0, मु0व0 एवं हज/20
दिनांक.......07.07.2022

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

प्रिय महोदय,

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान (रजि) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान. लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं इस संबंध में स्मारिका का प्रकाशन/विमोचन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता हुई।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषत: नागरिकों के अधिकार, न्याय एवं समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयासरत है । निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, दलित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा, ऐसी आशा व कामना करता हूँ।

अत: इस सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य हेतु संस्थान से संबंधित समस्त विद्वत पदाधिकारीगण व संरक्षक मण्डल के महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(दानिश आज़ाद अंसारी)

श्री गोपाल राय,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान,
65/25 छितवापुर रोड, लालकुआँ,
लखनऊ–226001

फोन नं0 : +91-8881101103,6386414503
सै. अतहर सगीर जैदी(तूरज जैदी)
चेयरमैन
फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी
(उ0प्र0 शासन)
उर्दू अकादमी भवन, चौथा तल विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ

Mob : +91-8881101103,6386414503
S.Athar Sagheer Zaidi 'Turaj Zaidi'
CHAIRMAN
Fakhruddin Ali Ahmad Memorial Committee
(U.P. GOVT.)
Urdu Akadami Bhawan, 4th Floor Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow

पत्रांक............ दिनांक............

शुभकामना सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान (रजि0) द्वारा माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं स्मारिका का प्रकाशन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

संस्थान विगत कई वर्षो से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यो विशेषतः नागरिको के अधिकार न्याय व समस्त मूलभूत आवश्यकताओ हेतु प्रयासरत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यो से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होगें।

मै साथ ही ऐसी आशा करता हूँ कि संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, पिछड़े, महिला, बच्चे पीडितो एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा।

मै इस स्मारिका के प्रकाशन एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(सै0 अतहर सगीर जैदी"तूरज जैदी")
चेयरमैन

उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग
U.P. Commission for Minorities

Haider Abbas Chand
Member
हैदर अब्बास चाँद
सदस्य

Lucknow Office :
604, Indira Bhawan, Lucknow-1
Mob.: 9454060786, 9451196786
E-mail : chandbjp@gamil.com
Resi.: C-18/60, Mata Kund, Lallapura, Varanasi

Ref. No. 110786 Date 08 07 2022

शुभकामना-संदेश

केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच (रजि) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान लोक शिकायत का निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं इस संबंध में स्मारिका का प्रकाशन/विमोचन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता हुई।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्य विशेषतः नागरिकों के अधिकार, न्याय एवं समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयासरत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यों से ना सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित दलित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा। ऐसी आशा व कामना करता हूं।

अतः सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य हेतु संस्थान से संबंधित समस्त विद्वत पदाधिकारीगण व संरक्षक मंडल के महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

(हैदर अब्बास चांद)
सदस्य

श्री गोपाल राय,
माननीय अध्यक्ष,
65/25 छितवापुर रोड,
लालकुआं, लखनऊ-226001

लोक आयुक्त
उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

सचिव,
लोक आयुक्त, उ0प्र0,
लखनऊ।

पोस्ट बॉक्स नं0: 172 (जी.पी.ओ.)
टी0सी0–46/वी–1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ–226 010
दूरभाष: 2728660
: 2306088
: 2306717
फैक्स: (0522)2306647

सेवा में,

श्री गोपाल राय,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान,
प्रधान कार्यालय–65/25, छितवापुर रोड,
लालकुऑ, जिला–लखनऊ।
पिन कोड 226001

संख्या–746–2022/02/ 5391 दिनांक 28 जून, 2022

विषय– आप द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 11.06.2022 के क्रम में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 9(5) के अन्तर्गत माननीय लोक आयुक्त जी द्वारा प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही सूचना पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह भी सूचित करना है कि यदि आप किसी लोक सेवक के विरूद्ध अभिकथन रूपी परिवाद अथवा शिकायत रूपी परिवादी करना चाहते है, तो संलग्न सूचना पुस्तिका के अनुसार नियमित परिवाद प्रस्तुत कर सकते है।

लोक आयुक्त प्रशासन में परिवाद दाखिल करने संबंधी जानकारी हेतु सूचना पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ यह भी अवगत कराना है की इस प्रशासन में परिवाद सूचना पूस्तिका में दिये गये प्रारूप पर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जाते है और **परिवाद** एवं **संलग्नको** को परिवादी के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 तथा धारा 9(3) के अनुसार **सत्यापित** करना होता है तथा **परिवाद** एवं उसके साथ **संलग्नको** के सम्बन्ध में एक **नोटरी सपथ पत्र** परिवादी का एवं उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का भी शपथ पत्र उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 तथा धारा 9(2) के अनुसार देना होता है, जिनसे तथ्यों के बारे में जानकारी होने का परिवाद में उल्लेख हो। परिवादी को अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर तथा ई0मेल आई0डी0 यदि हो तो अंकित करना होता है।

इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि परिवाद दो तरह के होते है पहला शिकायत दूसरा अभिकथन। अभिकथन रूपी परिवाद के साथ दो हजार रूपये प्रतिभूति कोषागार में जमा की जाती है। और इस स्थिति में दो हजार रूपये प्रतिभूति जमा करते हुये चालान की मूल प्रति इस प्रशासन में उपलब्ध कराने के साथ ही साथ परिवादी को अपने राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड, संबंधित जिले का नाम एवं स्व–प्रमाणित बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी इस प्रशासन को उपलब्ध करानी होती है। जिससे यथास्थिति प्रतिभूति की धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से आपके खाते में स्थानान्तरित करायी जा सके।

भवदीय

संलग्नक– सूचना पुस्तिका।

कृते सचिव

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 9(3) के अनुसार सत्यापन निम्न ढंग से किया जा सकता है। सत्यापन न होनें पर सामान्यता परिवाद ग्रहण न किया जा सकेगा।

सत्यापन

परिवाद में पैरा– 1 से लगायत 12 में लिखित बातें एवं परिवाद के साथ संलग्न प्रपत्र मेरी जानकारी में पूर्णतया सही है तथा जिनके सही होने का विश्वास करता हूं। तद्नुसार परिवाद पत्र एवं संलग्नकों को सत्यापित किया जाता है।

दिनांक
स्थान

सत्यापनकर्ता
परिवादी का हस्ताक्षर/ नाम/पता/ मोबाइल नं0 सहित

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त
उत्तर प्रदेश

कुप्रशासन भ्रष्टाचार

प्रदेश को भ्रष्टाचार/कुप्रशासन मुक्त बनाने हेतु जनता से अपील

मंत्रियों, विधायकों व अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग व कुप्रशासन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले परिवादों (अभिकथन/शिकायत) को ग्रहण करके लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा उसका निराकरण कराते हुए उत्तरदायी मंत्रियों, विधायकों और लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुतियाँ सक्षम प्राधिकारी (मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव) को प्रेषित की जाती है और वार्षिक प्रतिवेदन माननीय श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

अधिकारिता

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभाग, सरकारी कम्पनियाँ, सहायक सरकारी कम्पनियाँ, निगम, सोसाइटीज व परिषदें (जो अधिसूचित की गई हों) से संबंधित परिवादों (अभिकथन/शिकायत) के मामलें तथा सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान, मृतक आश्रित सेवायोजन, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद, निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं के पेंशन, अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण (सेवा) संबंधी मामलें।

उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारीगण (धारा-22 में वर्णित न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारी, महालेखाकार आदि को छोड़कर) एवं कर्मचारियों के साथ-साथ मंत्रीगण (मुख्यमंत्री को छोड़कर), विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर महापालिका, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत (ग्राम प्रधान को छोड़कर) भी सम्मिलित हैं के विरूद्ध परिवाद (अभिकथन/शिकायत)। शासकीय लोक सेवकों के सेवानिवृत्त/सेवाकाल में मृत्यु से संबंधित देयकों के प्रकरण से संबंधित परिवाद जो कि शिकायत की श्रेणी में आते हैं प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अभिकथन/शिकायत की प्रक्रिया

प्रदेश के लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को अभिकथन तथा शिकायत सम्बन्धी परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में (यथासंभव राजभाषा हिन्दी में) टंकित कराकर धारा-9(2) के अनुसार नोटरी शपथ पत्र एवं धारा-9(3) के अनुसार परिवाद, शपथ पत्र, संलग्नक/अनुलग्नक का सत्यापन परिवादी स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करके एवं अभिकथन रूपी परिवादों में रू 2,000/- प्रतिभूति निर्धारित लेखा शीर्षक "8443 सिविल निक्षेप-00-103-प्रतिभूति निक्षेप-00-00" के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करके मूलप्रति सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि यदि प्राप्त परिवाद मिथ्या/फर्जी पाया जाता हैं तो ऐसे परिवादियों पर माननीय लोक आयुक्त द्वारा रू 50,000/- तक की धनराशि का हर्जाना लगाया जा सकता हैं एवं प्रतिभूति की धनराशि जब्त की जा सकती है।

नोट- राज्य सरकार द्वारा ई-पेमेन्ट से भुगतान किये जाने के कारण, परिवादी अपना राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम, जिला एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ-साथ पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, परिवाद दाखिल करते समय प्रतिभूति की धनराशि के मूल चालान के साथ उपलब्ध करायेंगे तभी उनको प्रतिभूति की धनराशि वापस किया जाना सम्भव होगा। परिवादी को अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नम्बर/ई-मेल के साथ अंकित करना चाहिए।

सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वर्तमान पता - टी0सी0-46/वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 अथवा
पोस्ट बाक्स नम्बर-172, जी0पी0ओ0, लखनऊ।

फोन नं0 - (0522) 2728660, 2306717, 2728865, 2306088, 2306160(पी0बी0 एक्स), 2306412

फैक्स नं0 - (0522) 2306647

Web Site - www.lokayukta.up.nic.in E-mail :- lokayukta@hotmail.com

आर0एन0 पाण्डेय एच0जे0एस0
सचिव

PARIJAAT
INFRAESTATE PVT. LTD.

दिनांक 11/07/22

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य मे लोक शिकायत निराकरण विषय में केन्द्रीय शिकायत एवं जॉच संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राष्ट्रीय हित में किये गये उत्कृष्ठ कार्यों का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणादायी सिद्द होगा।

संस्थान का यह कार्य प्रशंसनीय है।इस शुभ अवसर पर संस्थान को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाये।

Parijaat Infraestate Pvt. Ltd.

आपका Director

धन्यवाद

बाकर अम्मार नकवी (हसन)

डायरेक्टर पारिजात इन्फ्रास्टेट प्रा. लि.

लखनऊ

सम्पर्क: 6306031325

श्री गोपाल राय जी

राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान

प्रशासनिक कार्यालय 65/25 छितवा पुर रोड

लालकुआं लखनऊ

PARIJAAT INFRAESTATE PVT. LTD.

Corporate Office : D-3/91, Vijyant Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Website : www.parijaatinfra.in | Phone : 0522-4323148 | Mob. : 6306031325

केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के चेयरमैन बनने पर गोपाल राय का हुआ भव्य स्वागत

लखनऊ। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन बनने के बाद गोपाल राय का दिल्ली से प्रथम बार लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यालय उदघाटन के पश्चात श्री राय ने कहा कि एक माह में भारत के सभी राज्यों व जनपदों में संस्थान की इकाई गठित की जाएगी। इसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो समाज के अक्षम पीड़ित व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संस्थान द्वारा मदद कर सकेंगे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान सम्पूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन एक माह के अंदर कर समाज के कमजोर,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जो समस्याओं से संबंधित विभागों एवं अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना हक हुकूक हासिल न होने से भाग्य को दोषी मानकर समस्या से पीड़ित रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्थान निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान उचित लोगों का चयन करेगी जो स्वेच्छा से समाज में आमूल - चूल परिवर्तन के प्रणेता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं।

केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के चेयरमैन बनने पर गोपाल राय का हुआ भव्य स्वागत

लोकायुक्त न्यूज

लखनऊ। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन बनने के बाद श्री गोपाल राय का दिल्ली से प्रथम बार लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यालय उदघाटन के पश्चात श्री राय ने कहा कि एक माह में भारत के सभी राज्यों व जनपदों में संस्थान की इकाई गठित की जाएगी। इसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो समाज के अक्षम पीड़ित व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संस्थान द्वारा मदद कर सकेंगे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान सम्पूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन एक माह के अंदर कर समाज के कमजोर,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जो समस्याओं से संबंधित विभागों एवं अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना हक हुकूक हासिल न होने से भाग्य को दोषी मानकर समस्या से पीड़ित रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्थान निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान उचित लोगों का चयन करेगी जो स्वेच्छा से समाज में आमूल - चूल परिवर्तन के प्रणेता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं। विधिक कार्यवाही हो या मानवाधिकार मूल्य हो,सामाजिक समरसता के लिए संस्थान की तरफ से निशुल्क एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे जिनका खर्च संस्थान एवं पदाधिकारी उठाएंगे। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध व मजबूत बनाने की अवधारणा, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक महिला एवं पुरुष ,जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों को दिलाना।

समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार उन्मुख कार्यशाला का आयोजन कर प्रेरित करना। रोजगार परक ट्रेनिंग देकर स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्म निर्भर बनाने का कार्य संस्था करेगी। वर्तमान समय में आम आदमी की शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता उपलब्ध कराने हेतु सुनिश्चित करना, समान नागरिक संहिता लागू करवाने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सब का साथ, सबका विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री की नीतियों को जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान वचनबद्ध है। भारत में आजादी के बाद भी किसान वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है,उसके कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का मजबूत प्रयास किया जाएगा। हर छोटी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा मेडिकल इंजीनियरिंग इत्यादि कालेजों में पढ़ाई मुफ्त कराने की कोशिश संस्थान करेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आचार्य वीरेंदर मिश्र, सैय्यद हुसैन नकवी, आराधना गुप्ता, शबनम, नदीम खान, एस.डी त्यागी, मोहित यादव, धर्मेंद्र सैनी, बाकर नकवी, नीरज सिंह, उत्कर्ष सिंह आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए।

Gopal Rai received grand welcome after becoming the chairman of the Central Public Grievances and Investigation Institute

Lucknow : After becoming the National Chairman of the Central Public Grievances and Investigation Institute, Shri Gopal Rai received a warm welcome from Delhi on his arrival in Lucknow for the first time.

After inaugurating the office, Mr. Rai said that within a month, a unit of the institute would be formed in all the states and districts of India. For this, eligible persons will be selected who will be able to help the disabled victims and financially weak people of the society by the institution.

Addressing the gathering, he said that within a month, by constituting State and District Chairman in all the states of the whole India, the persons belonging to the weaker, economically backward sections of the society who are unable to reach the departments and courts related to the problems and This institution will work selflessly to get justice for those who are suffering from the problem by blaming fate for not getting their due.

The institute will select the right people to make these facilities effective. Education and medical health are the basic needs of the common man in present times. To ensure that its utility is available, efforts will be made to implement Uniform Civil Code on priority basis. The institute is committed to take the policies of the Prime Minister, who thinks of Ek Bharat, Shreshtha Bharat, Sab Ka Saath, Sabka Vikas, to the masses.

Even after independence, the farmer class has been the most neglected in India, apart from ensuring the facilities provided by the central government for its welfare, free education to the children of farmers who depend only on agriculture, Ayushman card for health is mandatory. A strong effort will be made to do so in every programme.

Mainly Acharya Virender Mishra, Syed Hussain Naqvi, Aradhana Gupta, Shabnam, Mantasha Zaidi, Nadeem Khan, SD Tyagi, Mohit Yadav, Rachna Gautam, Dharmendra Saini, Bagar Naqvi, Neeraj Singh, Utkarsh Singh etc. expressed their views.

पब्लिक की लहर

लाखों हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह से बचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी किसी खुदा से कम नहीं :गोपाल राय

मंगलवार, 28-04-2020

मध्य गुजरात का लोकप्रिय समाचार पत्र

गुजराती बोल

हिन्दी दैनिक

लाखों हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह से बचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी किसी खुदा से कम नहीं गोपाल राय

भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी तीन सप्ताह के लिए लगाए जनता कर्फ्यू –गोपाल राय

लखनऊ, 22 मार्च, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम सब अपने घरों में क्यों हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू कि घोषणा क्यों की है? हम सभी का सौभाग्य है कि नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सेवा कर रहे हैं। साथियों आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के नाम से जाना–जाने वाला अतिसूक्ष्म जीव किस तरह से स्थूलकाय प्राणी के लिए जान का खतरा बना हुआ है। दुनिया भर के देश इस वायरस के चपेटे में आ चुके हैं और अपने जिन्दगी के लिए लड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। आप सब ज्ञानी हैं और यह समझ सकते हैं कि हमें इसको गंभीरता से शुरुआती दौर में ही लेना चाहिए था। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 300 पार कर गयी है। अतः आप सबसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जनता कर्फ्यू को सिर्फ आज के

लिए नहीं कम से कम तीन सप्ताह तक ऐसे ही चलने दिया जाए। यह ऐसी महामारी है जो चैन की तरह सबको अपने गिरफ्त में करते जाती है। भारत के अन्य राज्यों से भी कोरोना से संक्रमित लोगों की पुष्टी हो रही है। यह हमारे और आपके घर तक न आ पाएं इसके लिए इस चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग बाहर मत जाएं। जरूरत भर के चीजों से काम चलाएं और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। क्योंकि यदि अब हम लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो यह बहुत ही मुश्किल होगा। आप सब ने पढ़ना और इटली के हालात के बारे में देखा और पढ़ा है। इटली में स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व के दूसरे नम्बर पर है लेकिन इस महामारी की वजह से वहां की सरकार भी अस्त व्यस्त हो गई जबकि वहां की जनसंख्या केवल 6 करोड़ है, वहां पर 21 मार्च की जारी रिपोर्ट में केवल एक दिन के मृत्यु के आंकड़े 600 के पार जा चुका है। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है, यहां के अस्पतालों में पहले से ही कोरोना के मरीजों की संख्या 300 से अधिक हो गयी है । इसलिए आप सब संजीदा होकर प्र. मंत्री और सरकार द्वारा जारी सूचना पर अमल करें। इटली की जनसंख्या 6 करोड़ है और वही भारत की जनसंख्या एक अरब 37 करोड़ के आसपास है। 2021 की जनगणना में ताजे आंकड़ों में जनसंख्या और भी ज्यादा होगी। ऐसे में इस महामारी का दूसरों में फैलना और फिर इलाज की संभावना बहुत मुश्किल है। अभी तक इसका वैक्सीन भी नहीं मिला है। और तमाम अफवाह भी फैल रही है कि कोरोना का इलाज या देशी नुस्खे मिल गये हैं जो कि सत्य नहीं है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर को ही सुरक्षा कवच बनाए और इस वायरस के बढ़ते चैन को तोड़ने में मदद करें।

इटली में 24 घण्टे के भीतर 600 लोगों की मौत।

भारत के प्रत्येक नागरीकों को सर्तक व सहयोग देने की अपील।

देश को मौत के मुंह से बचाने वाले मोदी किसी खुदा से कम नहीं- गोपाल राय

लखनऊ। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया में जहां दो लाख लोगों की जान जा चुकी है वहीं पूरे विश्व में एक करोड़ के आसपास की संख्या में लोग इस बीमारी से जीवन मृत्यु के बीच दहशत में है। ऐसे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सर्वप्रथम जनता कर्फ्यू व लाक डाउन लगाकर लाखों लोगों को मौत के मुंह से बचाने वाले विश्व में प्रथम है। भारत में गरीब बेसहारों के लिए निःशुल्क भोजन व दवा की व्यवस्था जहां कराने के लिए भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को लगाया वहीं अपने स्तर से मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगों के दुख सुख में समर्पित लोगों को लगाकर ऐतिहासिक कार्य किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो दोनों अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगी हुई है। मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में जहां कोरोना से ६०००० से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, स्पेन,जर्मनी, चीन सहित पूरे विश्व में कोरोना की वजह से लोगों की मौत की खबर लगातार आ रही है वहीं मोदी की सक्रियता से अब तक भारत में मरने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। ऐसे में मोदी जी द्वारा अब तक लाखों लोगों की जान बचाई गई है।

हम सब लोग उनके आवाहन पर कोरोना मुक्त भारत करने के लिए प्रयासरत है। मैं भारत के राजनैतिक पार्टियों व उनके नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि देश हित में कार्य कर रहे केंद्र सरकार व राज्य सरकार का सहयोग करें।देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर देश बचा रहा तो हम सभी एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी करते रहेंगे। ऐसे में हम सभी को जात-पात धर्म और मजहब से अलग होकर जी-जान से लोगों की मदद करनी चाहिए। लाक डाउन सफल कराने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हमें समाज में हो रहे बदलाव के सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए। उनकी तारीफ व हौसला अफजाई से और भी प्रेरणा मिलेगी।

यूथ ग
बी. ३६/१०-४३,
सुवि
* २४ घंटे सिक्योरिटी गार्ड। * गार्जि
* पूर्ण शैक्षिक एवं शांत
साफ-सफाई को विशेष
अनुसार उत्तम भोजन का
एवं ठण्डा या गरम पानी
बिल्कुल पास। * जनरेटर
प्रो. एस.के
Mo: 8795200002, 99

दैनिक स्वतंत्र समय

लाखों हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह से बचाने वाले मोदी किसी खुदा से कम नहीं

देश से बड़ा कुछ भी नहीं

45 पंजीकृत संगठनों ने की गोपाल राय को दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाने की मांग

सन्मार्ग वाराणसी जनपद

मोदी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विकास पुरुष : गोपाल राय

स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मना

प्रादेशिक समाचार

मोदी और योगी के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह : गोपाल राय

45 पंजीकृत संगठनों ने की गोपाल राय को दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाने की मांग

पब्लिक की लहर लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत दिलाने में रा.क्रा.स.पा के अध्यक्ष गोपाल राय की अहम भूमिका को देखते हुए 45 पंजीकृत संगठनों ने उनको दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाने की मांग है।

उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में 29 जुलाई 2021 को लगभग 45 पंजीकृत संगठनों ने मिलकर राजनीतिक विकल्प महासंघ का गठन किया। उक्त अवसर पर सभी दलों ने एकजुटता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को मोर्चे का संयोजक बनाया और सभी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का आह्वान किया। 30 अगस्त को लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मोर्चे की आम बैठक मोर्चे के संयोजक गोपाल राय के नेतृत्व में हो रही थी इसी बीच बैठक में अचानक भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह बैठक में आए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग बीजेपी का साथ दीजिए हमारी पार्टी आप लोगों को भागीदारी के तहत सभी को किसी बोर्ड या आयोग में में कार्य करने का अवसर देगी। अभी समय की मांग है कि देश में मोदी व प्रदेश में योगी की आवश्यकता है। इस पर मोर्चे के संयोजक व राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि कम से कम 2 सीट गठबंधन में दिया जाए बाकी सरकार बनने पर सब लोगों को समायोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सभी लोग लगेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विगत समय में हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में निमंत्रण भी दिया। घटक दलों ने वहां जाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की, वहीं स्वतंत्र देव जी ने गोपाल राय को मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री के बीच निमंत्रित कर सम्मानजनक ढंग से प्रदेश अध्यक्ष ने बैठाया। 7 नवंबर 2021 को लखनऊ स्थित रविंद्रालय सभागार हाल में आयोजित राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर घटक दलों के सम्मानित करने के बाद गोपाल राय की अध्यक्षता में भाजपा को सर्व सम्मत से प्रचंड बहुमत से जिताने की प्रण किया गया। 3 दिसंबर 2021 को लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ पार्क से यूपी में प्रचंड बहुमत से फिर योगी सरकार बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गयी। जिसमें सैकड़ों वाहन शामिल थे। यह रैली लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर और वाराणसी तक गई। गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर के बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के कौड़ीराम विधानसभा के विधायक विमलेश पासवान के समर्थन में कौड़ीराम बाजार में आयोजित 30 फरवरी की रैली में मुख्यमंत्री जी के साथ मंच साझा किया सभी लोगों ने मिलकर भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए अपनी ताकत लगाई। उक्त अवसर पर श्री राय ने कहा कि आज समय की मांग है कि देश की एकता व अखंडता की मजबूती हेतु मोदी वह योगी की आवश्यकता है सभी घटक दल मिलकर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में अपने स्तर से प्रचंड जीत दिलाने में लगे गोपाल राय द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने हेतु समय मांगा गया। पीएम हाउस से उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को निर्देशित किया गया कि गोपाल राय से संपर्क करें। गोपाल राय उनके आमंत्रण पर दिल्ली स्थित धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर जाकर सारी बात से अवगत कराएं उन्होंने कहा कि आप लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। गोपाल राय लखनऊ के कैंट विधानसभा में बृजेश पाठक एवं सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह वाराणसी के सेवापुरी से नीलरतन नीलू पटेल विधानसभा पेंड्रा से डॉ अवधेश सिंह इत्यादि को जिताने में दल- बल के साथ अपना योगदान दिया।

पंजीकृत संगठनों ने की गोपाल राय को दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाने की मांग

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा को गोपाल राय के नेतृत्व में पांच दलों ने दिया समर्थन

योगी फिर बनेंगे मुख्यमंत्री : गोपाल

वाराणसी (एसएनबी)। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने वाराणसी जनपद के कैंट, सेवापुरी एवं विधानसभा दक्षिणी व अन्य क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन मांगा। श्री राय ने कहा कि अभी 20 वर्ष तक देश हित में मोदी और योगी की आवश्यकता है। मोदी ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने धारा 370 को समाप्त किया, नागरिक संशोधन बिल, तीन तलाक जैसे मुद्दे पर कड़ा निर्णय लेकर देश हित में कार्य कर रहे है। वही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान सरकार ने 5 साल के दौरान भय,भूख व भ्रष्टाचार से जनता को मुक्ति दिला कर विकास के रास्ते पर लाने का कार्य किया है। प्रदेश मे कानून व्यवस्था मे सुधार के कारण तेजी से निवेश बढ़ा है। आज कई विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आई है। डबल इंजन की सरकार ने लाभार्थी योजनाओं और विकास कार्यों के बल पर योगी एक बार फिर दो तिहाई बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे।

योगी दो तिहाई बहुमत से फिर बनेंगे मुख्यमंत्री : गोपाल राय अध्यक्ष

स्वतंत्र समय

राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश में भाजपा को जबरदस्त मिल रहा समर्थनः गोपाल राय

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा को गोपाल राय के नेतृत्व में पांच दलों ने दिया समर्थन

संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजनैतिक विकल्प महासंघ के संयोजक गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्र हित में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया और संगठन से जुड़े लोगों को पूरे प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिला कर प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन श्एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मिशन को मजबूत बनाने हेतु भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सदस्य विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा को रा.क्रा.स.पा. अध्यक्ष गोपाल राय ने समर्थन पत्र दिया।समर्थन देने वाली पार्टी का नाम व

अध्यक्ष का नामः गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष - राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, शशि राजभर, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी, सुरेंद्र शर्मा, अखण्ड भारत स्वराज पार्टी, कृष्णा पाण्डे, भारतीय किसान पार्टी, हरिमोहन विश्वकर्मा, खुदेलखंड मुक्ति मोर्चा।

गोपाल राय को दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाने की मांग उठी

मोदी और योगी के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना का प्रवाहः गोपाल राय

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान
TRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION, INDIA

WORLD
FOUNDATION
SEASON-3

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान

TRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

JALANDHAR

VISHAL

त्रकार महासभा
ान समारोह-2022

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्था
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE &

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION

TOTO

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान
CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION INSTITUTION, INDIA

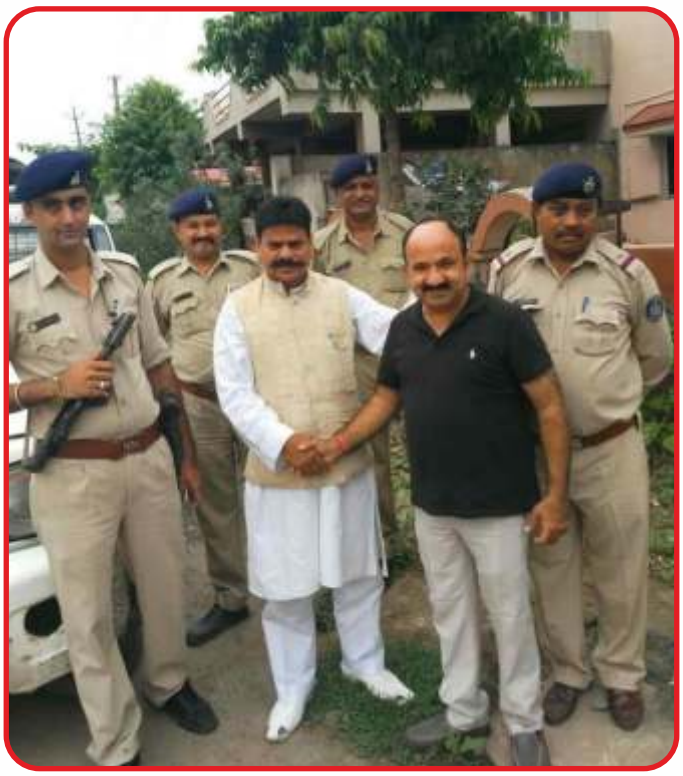

2022

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCE & INVESTIGATION

PARIJAAT
INFRAESTATE PVT. LTD.

Parijaat
Residency
Lucknow-Ayodhya Highway (NH-28)

PARIJAAT INFRAESTATE PVT. LTD.

Corporate office : D-3/91, Vijyant Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
website : www.parijaatinfra.in | Phone : 0522-4323148 | Mob.: 6306031325